

## वशिष/इन-डेपथ: अवशिवास प्रस्ताव

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अवशिवास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने के दो महीने पहले उसे संसद में अवशिवास प्रस्ताव की चुनौती मलि रही है। यह चुनौती कोई और नहीं बल्कि कुछ दनि पहले तक एनडीए की हसिसा रही तेलुगू देशम पार्टी दे रही है। आंध्र प्रदेश को वशिष राज्ज का दर्ज़ा नहीं मलिन से नाराज़ TDP सरकार के खिलाफ संसद में अवशिवास प्रस्ताव लाई है। आंध्र प्रदेश का ही एक अन्य वपिकषी दल वाईएसआर कांग्रेस भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पहला अवशिवास प्रस्ताव है। लोकसभा में सरकार के बहुमत के मद्देनज़र तकनीकी तौर पर सरकार को अवशिवास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे अवशिवास प्रस्ताव का मुद्दा एक बार फरि सतह पर आ गया है।

### क्या होता है अवशिवास प्रस्ताव?

जब लोकसभा में कसि वपिकषी पार्टी को लगता है कसरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार वशिवास खो चुकी है तो वह अवशिवास प्रस्ताव लाती है। इसे No Confidence Motion भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है ककेंद्रीय मंत्रपरिषिद लोकसभा के प्रर्ता जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासलि होने पर ही मंत्रपरिषिद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अवशिवास प्रस्ताव पारति होने पर प्रधानमंत्री सहति मंत्रपरिषिद को इस्तीफा देना होता है।

- लोकसभा के प्रकरया तथा कार्य संचालन नयिमावाली के नयिम 198(1) से 198(5) तक मंत्रपरिषिद में अवशिवास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रकरया नरिधारति की गई है।
- यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जसिका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है--**यह सदन मंत्रपरिषिद में अवशिवास व्यक्त करता है।**
- नयिम 198(1)(क) के तहत अवशिवास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लयि अनुमताभांगनी पड़ती है।
- नयिम 198(1)(ख) के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचवि को देनी होती है। इस समय के बाद मलि सूचना को अगले दनि मलि सूचना माना जाता है।
- नयिम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम-से-कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद न हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमता नहीं देते।
- नयिम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमता मिलने के बाद इस पर चर्चा के लयि एक या अधिक दनि या कसि दनि का एक भाग तय करते हैं।
- नयिम 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दनि मतदान के ज़रयि नरिणय की घोषणा करते हैं।
- नयिम 198(4) के तहत भाषणों की समय-सीमा तय करने का अधिकार अध्यक्ष को मलिा है।
- इसे मंजूरी मलिन पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को यह साबति करना होता है ककि उन्हें सदन में ज़रूरी समर्थन प्रापत है।
- लोकसभा में अवशिवास प्रस्ताव को मंजूरी के लयि कम-से-कम 50 सांसदों का समर्थन ज़रूरी होता है।
- इसमें वोटिंग के लयि केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं, राज्जसभा के सांसद वोटिंग प्रकरया में भाग नहीं ले सकते।
- वपिकषी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के कसि सांसद से इसे पेश करने के लयि कहते हैं।
- लोकसभा स्पीकर अवशिवास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दनों के अंदर इस पर चर्चा ज़रूरी है।
- इसके बाद स्पीकर अवशिवास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फरि कोई फ़ैसला ले सकता है।
- इसके लयि मतदान होने पर सरकार अपने सांसदों के लयि व्हपि जारी कर सकती है, जसिके बाद अपनी पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाला सांसद अयोग्य माना जा सकता है।
- अवशिवास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गरि जाती है।
- अवशिवास प्रस्ताव को कसि कारण पर आधारति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूचना में कारण उल्लिखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अवशिवास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं।

### इतहास के आईने में अवशिवास प्रस्ताव

- भारतीय संसद के इतहास में पहली बार अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने अवशिवास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और वरिध में 347 वोट।
- संसद में 26 से ज़्यादा बार अवशिवास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा या 15 अवशिवास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए।
- लाल बहादुर शास्त्री और नरसहि राव की सरकारों ने तीन-तीन बार अवशिवास प्रस्ताव का सामना कयिा।
- अवशिवास प्रस्ताव का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में सरकार गरि थी, जब तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार को मतदान में हार का

सामना करना पड़ा था। उनकी सरकार के खिलाफ कुल दो बार यह प्रस्ताव लाया गया था।

- 1979 में अवशिवास प्रस्ताव पर ज़रूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सहि ने इस्तीफा दे दिया था।
- इसके बाद 1989 में वी.पी. सहि की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अवशिवास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
- 1993 में कांग्रेस की नरसहि राव सरकार बहुत कम अंतर से अवशिवास प्रस्ताव को पार कर पाई थी।
- 1997 में एच.डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार को अवशिवास प्रस्ताव में पराजय के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
- इसके बाद 1998 में संयुक्त मोर्चे की आई.के. गुजराल सरकार को भी अवशिवास प्रस्ताव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
- राजग की तरफ से अटल बहारी वाजपेयी ने दो बार वशिवास मत प्राप्त करने की कोशिश की और दोनों बार असफल रहे। 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन सरकार चलाने के बाद मत-वभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और 1998 में उनकी सरकार केवल एक वोट से हार गई थी।
- जुलाई 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के वरिध में संप्रग सरकार के खिलाफ अवशिवास मत लाया गया था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सहि ने मामूली बहुमत से इस पर वजिय पाई थी।
- सबसे ज़्यादा अवशिवास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिरिमय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बहारी वाजपेयी ने वपिक्ष में रहते हुए दो बार अवशिवास प्रस्ताव पेश किये। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था और दूसरा नरसहि राव सरकार के खिलाफ।

## अवशिवास प्रस्ताव और वशिवास प्रस्ताव में अंतर

- ये दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रकिया के अंग हैं, जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जाँचा जाता है।
- सदन में अवशिवास प्रस्ताव हमेशा वपिक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि वशिवास प्रस्ताव अपना बहुमत दखिाने के लिये हमेशा सत्ताधारी दल लेकर आता है।
- कनिहीं वशिष परसिथितियों में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में वशिवास मत अर्जति करने के लिये कह सकते हैं।
- यदि सरकार वशिवास मत जीत जाती है तो 15 दिन बाद वपिक्ष पुनः सरकार के खिलाफ अवशिवास प्रस्ताव ला सकता है।
- संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अवशिवास प्रस्ताव लाने के छह महीने बाद ही दोबारा अवशिवास प्रस्ताव वपिक्ष द्वारा लाया जा सकता है।
- चूँकि वशिवास मत सरकार की तरफ से लाया जाता है, इसलिये उक्त कानून इस पर लागू नहीं होता।
- यदि सरकार सदन में वशिवास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबति नहीं कर पाती तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है या लोकसभा भंग करके आम चुनाव की सफिरशि राष्ट्रपति से की जा सकती है।
- इसके बाद यह राष्ट्रपति पर नरिभर करता है कि वह नई सरकार को आमंत्रति करें अथवा ऐसा संभ्रिभ न होने पर वर्तमान सरकार को ही चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के बनने तक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहें।

## संसद में लाए जाने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

### कार्य स्थगन प्रस्ताव

लोकसभा के नयिम 56 के तहत देश की कसिी गंभीर और महत्त्वपूर्ण समस्या पर चर्चा के लिये सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस पर चर्चा के लिये सदन की समस्त नयिमति कार्यवाही रोक दी जाती है यानी स्थगति कर दी जाती है। इसीलिये इसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होने पर प्रस्ताव में उल्लिखित मामले पर चर्चा करने के लिये सभा के सामान्य कार्य को रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की हाल ही की कसिी चूक अथवा असफलता के लिये, जिसके गंभीर परिणाम हों, सरकार को आड़े हाथ लेना है। इसे स्वीकार किया जाना एक प्रकार से सरकार की नदि मानी जाती है।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लोकसभा के नयिम 197 के तहत यह प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन इस पर कोई मतदान या चर्चा नहीं होती। कोई सदस्य स्पीकर की अनुमति से अवलिंभ लोक महत्त्व के कसिी मामले की ओर कसिी मंत्री का ध्यान दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उस मामले पर वक्तव्य दे, तो ऐसे प्रस्ताव को संसदीय भाषा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। संबधति मंत्री अपनी सुविधानुसार तत्काल संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या फरि बाद के कसिी दिन के लिये प्रस्ताव के माध्यम से संसद सरकार को सतर्क करने का काम करती है।

### आधे घंटे की चर्चा

लोक महत्त्व के मुद्दे उठाने के लिये संसद सदस्य के पास आधे घंटे की चर्चा के रूप में एक अन्य उपकरण उपलब्ध है। कसिी भी तथ्य संबधी मामले पर तारांकति अथवा अतारांकति प्रश्न के उत्तर के संबध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो कोई भी सदस्य उस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिये सूचना दे सकता है।

आधे घंटे की चर्चा से संबधति प्रकिया लोकसभा की प्रकरिया तथा कार्य संचालन नयिम के नयिम 55 तथा अध्यक्ष के नदिश के नदिश 19 द्वारा वनियिमति होते हैं। इसके अंतर्गत, कोई भी सदस्य पर्याप्त लोक महत्त्व के ऐसे मामले पर चर्चा उठाने के लिये सूचना दे सकता है जो हाल ही के प्रश्न, तारांकति, अतारांकति या अल्प सूचना प्रश्न का वषिय रहा हो और जिसके उत्तर के कसिी तथ्य या वषिय के संबध में वशिदीकरण की आवश्यकता हो। सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिपणी दी जानी चाहिये जिसमें उस वषिय पर चर्चा उठाने के कारण दिये गए हों और यह हस्ताक्षरति होनी चाहिये। एक बैठक के लिये आधे घंटे की चर्चा की केवल एक सूचना दी जाएगी और सभा में न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव किया जाएगा और न ही मतदान किया जाएगा। जसि सदस्य ने सूचना दी है, वह एक संक्षिप्त लघु वक्तव्य देगा और जनि सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचति किया है तथा बैलट में पहले चार स्थानों में से एक पर है, को कसिी तथ्य या वषिय के वशिदीकरण के प्रयोजन से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात् संबधति मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है। आधे घंटे की चर्चा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदति तथा सभा द्वारा मंजूर दविस पर की जाती है।

## अल्पकालीन चर्चा

संसद में अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत 1953 के बाद हुई। इसके तहत सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तय व्यवस्था के तहत ऐसी चर्चा के लिये स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचित करना होता है। इस सूचना पर कम-से-कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है।

## व्यवस्था का प्रश्न

व्यवस्था का प्रश्न उन नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के नरिचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में होगा जो सभा के कार्य को वनियमित करते हैं और जो अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर उठाया जाएगा।

व्यवस्था के प्रश्न को सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकता है, बशर्ते अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अवधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे, यदविह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य-वनियास के संबंध में हो। कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है और इसका नरिणय अध्यक्ष करेंगे ककिया उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है और यदविह व्यवस्था का प्रश्न है तो वह इस पर नरिणय देंगे जो अंतमि होगा।

## संसदीय वशिषाधिकार

ऐसे कतपिय अधिकार तथा उनमुक्तयिों 'संसदीय वशिषाधिकार' शब्द से अभिप्रेत हैं, जो संसद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समतियिों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तगत रूप से प्रापत हैं तथा जनिके बनिा वे अपने कृत्यों का नरिचन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। संसदीय वशिषाधिकारों का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरमिा की रक्षा करना है। संसद के दोनों सदनों और राज्य वधियाकियाओं तथा इनकी समतियिों एवं सदस्यों के अधिकारों, वशिषाधिकारों तथा उनमुक्तयिों का नरिधारण संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 में है। सभा को सदन की अवमानना अथवा उसके किसी वशिषाधिकार का हनन करने वाले किसी भी व्यक्तिको दंडित करने का अधिकार प्रापत है।

## नयिम 193 के तहत चर्चा

नयिम 193 के अधीन चर्चा में सभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। अतः इस नयिम के अधीन चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जनिहोंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जसि सदस्य ने चर्चा उठाई है उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। चर्चा के अंत में, संबधति मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर देता है।

## नयिम 377 के तहत चर्चा

ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, नयिम 377 के अधीन वशिष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं। 1965 में तैयार किये गए प्रकरिया नयिम सदस्य को सामान्य लोक हति के मामले उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में प्रतदिनि 20 सदस्यों को नयिम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

## अन्य देशों में नयिम तथा प्रकरियाँ

- भारत में अवशिवास प्रस्ताव की प्रकरिया ब्रिटिन की वेस्टमनिस्टर प्रणाली की तरह है तथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी मॉडल का अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली में परंपराओं का महत्त्व बहुत अधिक है। इस प्रणाली में नरिवाचित होकर बना नचिला सदन महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- वशि्व में सबसे पहला अवशिवास प्रस्ताव ब्रिटिन में ही लाया गया था, जब 1742 में रॉबर्ट वाल्पोल की सरकार के खिलाफ अवशिवास प्रस्ताव पारित हुआ था।
- जर्मनी, स्पेन तथा इजराइल में अवशिवास प्रस्ताव के साथ उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव भी देना पड़ता है। इसमें अवशिवास और वशिवास मत के प्रस्ताव एक साथ सदन में रखे जाते हैं। इसे बदलाव के लिये रचनात्मक मतदान कहा जाता है।
- जर्मनी में वशिवास मत हारने पर चांसलर को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, बशर्ते यह प्रस्ताव वपिक्ष की तरफ से न लाया गया हो।
- इटली में अवशिवास प्रस्ताव पर दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है।
- जापान में प्रतनिधि सभा में अवशिवास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

## सदन की कार्यवाही में व्यवधान

संसद में लंबे समय तक काम न होने के दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि व्यवधानों के कारण समय और संसाधन दोनों बरबाद होते हैं तथा बहुधा वधियकों को बनिा चर्चा किये जलदबाजी में पारित करना पड़ता है। संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की जमिमेवारी जतिनी सरकार की है, उतनी ही वपिक्ष की भी है। इस अवशिवास प्रस्ताव के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जब नोटिस देने के लगभग एक सप्ताह बाद भी इसको लेकर अनशिचय बना हुआ है। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार और वपिक्ष को तनातनी के माहौल से बाहर नकिलते हुए संसद की गरमिा को स्थापित करना होगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

**नषिकर्ष:** अवशिवास प्रस्ताव संसदीय परंपरा का एक अहम हसिसा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें काम करती थीं तब अवशिवास प्रस्ताव को वपिक्ष के प्रतीकात्मक वरिध का एक साधन माना जाता था, जसिका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता था। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में वपिक्ष के इस हथियार का महत्त्व काफी बढ़ गया है। जब भी वपिक्ष को लगता है कि उसके पास सरकार को मुश्किल में डालने लायक संख्या बल है तो वह अवशिवास प्रस्ताव लेकर आता है। इसके समर्थन में वे सदस्य आते हैं जिन्हें सरकार में वशिवास नहीं होता।

इधर कुछ दशकों से यह देखने में आ रहा है कि सरकारी पक्ष हो या वपिक्ष, प्रायः हर मुद्दे पर आपस में उलझ जाते हैं और संसद की कार्यवाही नरितर बाधति होती रहती है। केवल बेहद आवश्यक वधायी कार्य ही सदन में जगह बना पाते हैं। अनुभवी राजनीतजिज्ञ और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा भी था कि संसद के लयि D से शुरु होने वाले आवश्यक तीन शब्दों--डबिट (चर्चा), डसिंट (मतभेद) और डसिीजन (नरिणय) में अब चुपचाप एक नया D डसिरपशन (बाधा) जुड़ गया है। संसदीय लोकतंत्र में बाधा का कोई स्थान नहीं है। बार-बार बाधा उत्पन्न होने से उपयुक्त ढंग से चर्चा नहीं हो पाती और सार्वजनिक महत्त्व के बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन की कार्यवाही में स्थान नहीं मलि पाता। संसद में कभी-कभार कसिी गंभीर मसले पर हंगामे के कारण कामकाज का कुछ देर तक बाधति होना असामान्य नहीं है, लेकनि नरितर व्यवधानों के चलते इधर संसद में काफी कम कामकाज हो पाता है। इसके लयि सरकार और वभिन्न दलों के बीच हुई बैठकों में परस्पर सहयोग तथा संसदीय मर्यादा के पालन पर सहमति बनाने की आवश्यकता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/no-confidence-motion>

